

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

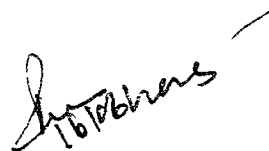
पटना, दिनांक- 16.06.25

649(17)

सं0सं0-17/विविध 1-207/2024..... बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, पटना द्वारा अनुशंसित निम्नांकित चिकित्सकों को सीनियर रेजिडेंट/ड्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली-2008 एवं (संशोधन) नियमावली, 2013 में निहित प्रावधानों के आलोक में राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में पैथोलॉजी विभाग के अन्तर्गत ड्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर पदों पर नियुक्ति एवं पदस्थापित किया जाता है:-

Sl. No.	REG NO.	NAME	CAT	SELECTION CAT	DOB	M/F	BHS	POSTING PLACE
1	9240000351	MOHIT ROY	UR	EWS	02.08.1992	M	BHS	NMCH, PATNA
2	9240000708	SHALINI SUMAN	UR	UR	02.12.1993	F	NO	SKMCH, MUZAFFARPUR

- यह नियुक्ति मात्र तीन वर्षों के लिए होगी।
- EWS कोटि में अभ्यर्थियों का चयन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 2019 के नियम-11 के अन्तर्गत किया गया है।
- ड्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए की जा रही है। अतएव इनका पदस्थापन चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में ड्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर रिक्त पदों के अधीन माना जायेगा।
- बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों को जो वेतन एवं भत्ता पूर्व से प्राप्त हो रहा है वही वेतन एवं अनुमान्य भत्ता टेन्योर पदों पर पदस्थापन अवधि में देय होगा तथा वेतन से की जा रही कटौतियाँ नियमानुसार की जायेगी।
- बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों को छोड़कर अन्य सभी बाह्य चिकित्सकों को वेतनमान, वेतन लेवल-9 एवं अन्य अनुमान्य भत्ते सहित देय होगा एवं कटौतियाँ स्वास्थ्य विभागीय पत्राक-22(1) दिनांक-11.01.2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों के तहत की जायेगी।
- टेन्योर अवधि की समाप्ति के उपरांत वैसे पदधारक जो बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सक हैं, वे विरमित होने के उपरांत स्वास्थ्य विभाग में योगदान समर्पित करेंगे। बाह्य चिकित्सक टेन्योर अवधि समाप्ति के पश्चात् उस टेन्योर पद अथवा किसी अन्य पद पर लगातार बने रहने का दावा नहीं कर सकेंगे।
- नवनियुक्त ड्यूटर को निदेशित किया जाता है कि वे अपने नवपदस्थापित स्थान पर **अधिकतम 15 दिनों के अन्दर** अनिवार्य रूप से योगदान कर कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। योगदान के समय वांछित प्रमाण-पत्र यथा मूल शपथ-पत्र/विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र/विरमन पत्र आदि अपने संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक को समर्पित करेंगे। प्राचार्य/अधीक्षक द्वारा उनकी शैक्षणिक अर्हता सहित अन्य प्रमाण पत्रों की जाँच करने के उपरान्त योगदान स्वीकार करेंगे।
- नवनियुक्त ड्यूटर यदि योगदान के उपरांत किसी कारणवश टेन्योर अवधि पूर्ण होने के पूर्व पद-त्याग करना चाहते हों तो 03 माह पूर्व प्राचार्य/अधीक्षक के माध्यम से अपना आवेदन विभाग में समर्पित कर अनुमति प्राप्त करना होगा।
- नवनियुक्त ड्यूटर यदि लगातार 15 दिनों से अधिक दिनों तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं, तो उनका टेन्योर समाप्त समझा जायेगा।
- इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।



ह०/-
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :-17/विविध-01-207/2024 — 649(17) पटना/दिनांक- 16.06.25

प्रतिलिपि :- महालेखाकर (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

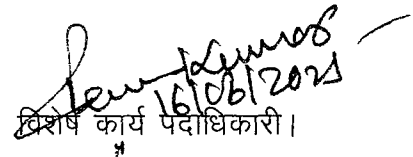
प्रतिलिपि:- प्राचार्य/अधीक्षक, संबंधित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- संबंधित सिविल सर्जन, बिहार/राज्य के संबंधित चिकित्सा संस्थानों के अधीक्षक/उपाधीक्षक/निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित ट्यूटर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सभी अपर सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 02, 03, 07, 08, 09 एवं 18A स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0 टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।